भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 348
05 अप्रैल, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा उपकरणों की खरीद में भ्रष्ट आचरण की घटनाएं

***348. श्री नीरज डांगीः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की खरीद में भ्रष्ट आचरण की घटनाएं सामने आई हैं;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले संज्ञान में आए हैं और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

05 अप्रैल, 2022 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 348 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वे अपने स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाकेंद्रों में चिकित्सा उपस्करों की खरीद में अपनाए जाने वाले भ्रष्ट तौर-तरीकों, यदि कोई हो, के विरुद्ध सतर्क रहें। केंद्र के अस्पतालों में चिकित्सा उपस्करों के प्रापण में भ्रष्टाचार को लेकर विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी किसी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग): मंत्रालय/ मंत्रालय के अधीन प्रापणकर्ता निकाय सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 के उपबंधों, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुकरण करते हैं और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 'वस्तुओं के प्रापण हेतु नियम पुस्तिका 2017' में दिए गए दिशानिर्देशों का भी अनुपालन करते हैं। जीएफआर, 2017 के नियम 149 के अनुसार प्रापण सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से किया जाता है। यदि उत्पाद जीईएम पर उपलब्ध नहीं है, तो ई-प्रापण के लिए केंद्रीय लोक प्रापण (सीपीपी) पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। नियमों के अनुपालन और जीईएम/ सीपीपी पोर्टल के जरिए प्रापण करने से प्रापण की बहुत ही पारदर्शी प्रणाली तैयार हुई है।

*****